संचिका सं0–7/MCH -35-29/2026-27-414(7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 12/10/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न 9 ए०एन०एम० एवं 6 जी०एन०एम० संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 3,29,81,861/- (रूपये तीन करोड़ उनतीस लाख इक्यासी हजार आठ सौ इकसठ) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1017(1), दिनांक–30 11 2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विभिन्न 9 ए०एन०एम० एवं 6 जी०एन०एम० संस्थानो के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 3,29,81,861/- (रूपये तीन करोड उनतीस लाख इक्यासी हजार आठ सौ इकसठ) मात्र (अनुलग्नक–1 के अनुरूप) के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0012–प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0012 अंतर्गत छात्रवृति/वजिफा (34–01) मद में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सबधित संस्थान के प्राचार्य होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबधित प्रमडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता पमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(7) संस्थानो को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि तथा संस्थान द्वारा व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–7/MCH -35-29/2026-27 के पृष्ठ–32../टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

12.X.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 7/MCH -35-29/2026-27- 414(78) स्वा0, पटना, दिनांकः– 12/10/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबधित संस्थान के प्राचार्य–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के पधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/10/26

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नकः–1

विभिन्न सरकारी ए०एन०एम०/जी०एन०एम० संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि–

क्रम सं०	संस्थान का नाम	आवंटित राशि (रुपये में)
1	ए०एन०एम० स्कूल, गयाजी	40,00,000
2	ए०एन०एम० स्कूल, अरवल सदर अरवल	25,00,000
3	ए०एन०एम० स्कूल, छपरा (सारण)	30,00,000
4	ए०एन०एम० स्कूल, बलिया, बेगूसराय	15,00,000
5	ए०एन०एम० स्कूल, नवगछिया, भागलपुर	15,00,000
6	ए०एन०एम० स्कूल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	21,00,000
7	ए०एन०एम० स्कूल, एस०डी०एच०, पटोरी, समस्तीपुर	7,00,000
8	ए०एन०एम० स्कूल, जाले, दरभंगा	12,00,000
9	ए०एन०एम० स्कूल, एस०डी०एच०, बनमनखी, पूर्णियां	10,50,000
10	जी०एन०एम० स्कूल, बरका कटरा, भभुआ	13,00,000
11	जी०एन०एम० स्कूल, सहरसा	17,16,500
12	जी०एन०एम० स्कूल, सी०एच०सी०, राजापाकर, वैशाली	25,00,000
13	जी०एन०एम० स्कूल, एस०डी०एच०, महाराजगंज, सिवान	40,00,000
14	जी०एन०एम० स्कूल, पी०एम०सी०एच०, पटना	34,15,361
15	जी०एन०एम० स्कूल, पुराना एस०डी०एच०, खगडिया	25,00,000
	कुल–	**3,29,81,861**

(रुपये तीन करोड़ उनतीस लाख इक्यासी हजार आठ, सौ इकसठ) मात्र

12.10.2026

12.10.26

सरकार के अपर सचिव